दिनांक– 06.09.2018.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा–सोनभद्र।

विषयः– जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में में0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण एवं 5715 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–569/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–24.08.2018,

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक प्रस्ताव पर उल्लखित बिन्दुवार त्रटियों का प्रयोक्ता के स्तर से निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है–

S.N.	OBSERVATIONS/CONDITIONS	REPLY
1-	प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न हैं, किन्तु प्रस्तावित स्थल को हाई लाइट से चिन्हित नहीं किया गया हैं।	प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र में प्रस्तावित स्थल को हाई लाइट से चिन्हित कर दिया गया हैं।
2-	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 94 पर संलग्न आरक्षित वन भूमि की प्रीमियम एवं लीज रेंट उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार स्पष्ट रूप से नहीं हैं। अतः प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की पूर्ण एवं स्पष्ट वनचबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न करें।	प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की पूर्ण एवं स्पष्ट वनचबद्धता संलग्न कर दी गयी है। जो आपके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी है।
3-	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न हैं, किन्तु सारांश में वृक्षो के प्रजातिवार वैधानिक नाम का उल्लेख नहीं किया गया हैं तथा सारांश में ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार Grith wise सूची नहीं हैं।	सारांश में वृक्षो के प्रजातिवार वैधानिक नाम का उल्लेख तथा सारांश में ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार Grith wise सूची आपके कार्यालय द्वारा अपलोड की जानी है।
4-	ऑनलाइन भाग–2 में 30 सेमी0 से अधिक ब्यास के 717 वृक्षो का ही उल्लेख किया गया हैं जो कि त्रृटिपूर्ण हैं। अतः इस विषमता को दूर करते हुये त्रुटि रहित सूची संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग–2 में वृक्षो की सूची आपके कार्यालय द्वारा अपलोड की जानी है।
5-	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि (115.874 हे0) के स्थान पर केवल 87 हे0 गैर वनभूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न हैं एवं सारांश में अवनत भूमि का उल्लेख किया गया हैं तथा सारांश में प्रत्येक चरणों की वास्तविक धनराशि को सम्मिलित न कराते हुये त्वनदक में धनराशि को सम्मिलित करते हुये योगफल किया गया हैं जोकि त्रुटिपूर्ण हैं। अतः प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्रक्कलन संलग्न करते हुये ही सारांश संलग्न करें।	प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन एवं सारांश ऑनलाइन भाग–2 में आपके कार्यालय द्वारा अपलोड किया जाना है।
6-	ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का बिना सत्यापित किये ही रंगीन टोपीशीट अपलोड़ की गयी हैं। अतः सत्यापित रंगीन टोपीशीट अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का रंगीन टोपीशीट आपके द्वारा सत्यापित कर ऑनलाइन भाग–2 में आपके कार्यालय द्वारा अपलोड की जानी है।
7-	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु 115.874हे0 गैर वन भूमि के सापेक्ष केवल 87हे0 गैर वन भूमि ही वनीकरण हेतु उपयुक्त बताया गया है, तथा इसके अतिरिक्ति संलग्न प्रमाण पत्र में चयनित स्थल को अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं। अतः भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संशोधित उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 115.874हे0 गैर वन भूमि चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण तथा चयनित स्थल को अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन भाग–2 में आपके कार्यालय द्वारा अपलोड किया जाना है।
8-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवशेष 28.874 हे0 गैर वनभूमि का चयन कराकर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, इससे सम्बन्धित Geo Referenced Digital Map, SOI Toposheet, kml file एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड़ करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में ही 115.874 हे0 वन भूमि के सापेक्ष 115.874 हे0 गैर वन भूमि प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित स्थल में 87.000 हे0 गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध मानी गयी है। अवशेष 28.874 हे0 क्षतिपूरक वनीकरण भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–423/2011–एफ0सी0 दिनांक 08 नवम्बर 2017 के पैरा 3.2 के I, ii, iii (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार degraded वनभूमि पर किया जाना है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन प्रभाग, के पत्रांक–611/33–1 भू0ह0 दिनांक–01.09.2018 द्वारा आपको प्रेषित है।
9-	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 109 पर संलग्न प्रमाण पत्र में 1.0 किमी0 की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण/रिजर्व बाघ/हाथी	भारत सरकार द्वारा 1.00 कि0मी0 की परिधि को Eco Sensitive Zone घोषित किये जाने सम्बन्धी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 20.03.2017 की

	कोरिडोर न होने का उल्लेख हैं। क्या भारत सरकार द्वारा 1 किमी0 की परिधि को Eco Sensitive Zone घोषित किया हैं? यदि हॉ तो उसकी प्रति संलग्न करें अथवा प्रस्तावित स्थल 10 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत होने के कारण राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड/राज्य वन्यजीव बोर्ड से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करते हुये पावती प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रतिलिपि संलग्न है।
10-	हार्ड कापी भाग–2 के क्रमांक –7(ii) में विवरण त्रृटिपूर्ण अंकित हैं। अतः उचित विवरण फीड करें।	आपके कार्यालय द्वारा अपलोड किया जाना है।
11-	ऑनलाईन भाग–2 के क्रमांक 5 व 6 में उचित डाटा फीड नहीं किया गया हैं।	आपके कार्यालय द्वारा अपलोड किया जाना है।
12-	ऑनलाईन भाग–2 के Additional Information Detail में कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया हैं। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड़ करें।	ऑनलाईन भाग–2 के Additional Information Detail में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र आपके कार्यालय द्वारा अपलोड किया जाने हैं।
13-	ऑनलाईन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 में जिला प्रोफाइल में 1980 से वनेन्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र भिन्न–भिन्न अंकित किया गया हैं। अतः एक समान उचित क्षेत्र अंकित करें।	आपके कार्यालय द्वारा अपलोड किया जाना है।
14-	प्रस्ताव के सभी पृष्ठो पर क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित नहीं हैं। अतः अंकित करते हुये संशोधित विषय सूची संलग्न करें।	प्रस्ताव के सभी पृष्ठो पर क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये संशोधित विषय सूची संलग्न कर दी गयी है।
15-	प्रस्ताव में संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला भाग–2 व मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाने वाला भाग–3 में संस्तुति नहीं की गयी हैं। अतः संस्तुति करते हुये ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड करें।	प्रस्ताव में संलग्न भाग–2 में संस्तुति आपके द्वारा व भाग–3 में संस्तुति मुख्य वन संरक्षक द्वारा की जानी है।
16-	ऑनलाईन भाग–2 के क्रमांक –13 (i) में Present Qwner File के Column में अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड़ नहीं किया गया हैं।	आपके कार्यालय द्वारा अपलोड किया जाना है।
17-	प्रस्ताव में 5715 वृक्षो के पातन की अनुमति का उल्लेख किया गया हैं। अतः स्पष्ट करें कि क्या विषयगत परियोजना में 7515 वृक्षो का पातन किया जाना अपरिहार्य हैं? ऐसी जानकारी प्राप्त हुयी हैं कि वृक्षो का पातन नहीं किया जाना हैं। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में उल्लखित 5715 वृक्षो का पातन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किया जाना हैं।

अतः आप द्वारा उल्लिखित कमियों को दूर करते हुए, पुनः पूर्ण प्रश्नगत प्रस्ताव की तीन मूल प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

For Jaiprakash Associates Ltd.

(Authorised Signatory)

(R.R.Bali)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

(1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, लखनऊ उ0प्र0,।

(2) मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर उ0प्र0,।